



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092026-276491
CG-DL-E-26092026-276491

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4949]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2026/भाद्र 27, 1948

No. 4949]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2026/BHADRA 27, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2026

का.आ. 5155(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4086(E) तारीख 24/07/2026, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के वलसाड जिले में NH56 के कि.मी. 665.686 से कि.मी.710.470 लंबाई 44.784) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के (चौड़ा करने / दो लेन का बनाना, आदि),अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन “द टाइम्स ऑफ़ इंडिया” और “गुजरात समाचार” दोनों दिनांक 05.08.2026 में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

गुजरात राज्य के वलसाड जिले में खानपुर-करवड राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर, किमी 665.686 से किमी 710.470 (लंबाई 44.784) के भूमि खंड में, संरचना के साथ या बिना, अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात			जिले का नाम: वलसाड		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: वापी					
गांव का नाम: कराया					
1	223 (ओल्ड सर्वे नम्बर 60/पैकी 2)	निजी (,)	एग्रीकल्चर	0.0215	यश उजेशकुमार शाह
2	एँन्ए217	निजी (,)	नॉन एग्रीकल्चर	0.0024	हरीश मेघजी गाला कमल जयंतीलाल शाह मनीषकुमार जयंतीलाल शाह वरुण लक्ष्मीनारायण गर्ग
Total				0.0239	

[फा. सं. Bodeli-Vapi-2022/3D2]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2026

S.O. 5155(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **4086(E) Dated:24/07/2026**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening /Two lane with paved shoulder etc.), maintenance, management and operation of NH56 in the stretch of land from Km 665.686 to Km. 710.470 (Length-44.784) in the district of VALSAD in the state of GUJARAT

And whereas the substance of the said notification has been published in "The Times of India" and "Gujarat Samachar" both dated 05.08.2026; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be Acquired with or without structures, on Khanpur-Karwad National Highway 56 Falling in the Stretch of Land from Km. 665.686 to Km. 710.470 (Length 44.784) in the district of VALSAD in the state of GUJARAT

State: GUJARAT			District: VALSAD		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: VAPI					
Village: Karaya					
1	223 (Old Survey Number 60/paiki 2)	Private (.)	Agriculture	0.0215	Yash UjeshKumar Shah
2	NA217	Private (.)	Non Agriculture	0.0024	Harish Meghji Gala Kamal Jayantilal Shah ManishKumar Jayantilal Shah Varun Laxminarayan Garg
Total				0.0239	

[F. No. Bodeli-Vapi-2022/3D2]

SHAIKH AMINKHAN, Director